

निवेशक संबंध कक्ष
प्रधान कार्यालय :
स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,
8वीं मंजिल,
बान्द्रा कुर्ला संकुल,
बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
दूरध्वनि : (022)- 6668 4444
फैक्स : (022)- 6668 4491
ईमेल : headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

BOI



INVESTOR RELATIONS CELL

HEAD OFFICE :

Star House, C-5, "G" Block,
8th Floor (East Wing),
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Phone : (022)- 6668 4444
Fax : (022)- 6668 4491
E-Mail : headoffice.share@bankofindia.co.in

संदर्भ क्र. Ref. No.: HO:IRC:SD:2021-22:18

दिनांक Date:08.04.2021

Script Code: BANKINDIA	Script Code : 532149
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir/Madam,

Notice of Extra-ordinary General Meeting

We wish to inform that Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of our bank will be held on **Wednesday, 5th May, 2021** through Video Conference (VC)/other Audio Visual Means (OAVM).

Notice of the same has been enclosed herewith for your information and dissemination, please.

Thanking you,

Yours faithfully,



Rajesh V.V.
(Rajesh V Upadhya)
Company Secretary

Encl: a/a.



स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा(पूर्व),
मुम्बई 400051

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI 400 051

असाधारण आम बैठक
बुधवार, 05 मई 2021
प्रातः 11 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Wednesday May 05, 2021
11.00 A.M.

नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित **विशेष कारोबार** को संपादित करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **बुधवार, 5 मई 2021 को प्रातः 11.00 बजे**, वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी। (बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।)

मद सं. 1: अधिमानी (प्रेफरेंशियल) आधार पर भारत सरकार (प्रवर्तक) को शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो उसे पारित करना:

"संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा सेबी (पूँजी जारी करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018 [सेबी(आईसीडीआर विनियमन)], भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर तथा टेकओवर का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा आरबीआई द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले विनियम तथा समय-समय पर आरबीआई तथा प्रासंगिक प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्धारित विनियम और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को सहमति प्रदान की जाती है कि वे भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल रु. 3000 करोड़ तक, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 164 के अनुसार निर्धारित **₹.61.23** प्रति इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम सहित **₹.71.23** प्रति इक्विटी शेयर पर नकद हेतु रु. 10/- प्रत्येक (रुपये दस केवल) के **42,11,70,854** तक के इक्विटी शेयर्स सृजित, पेश, जारी और आबंटित करें।"

"आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गम मूल्य के जारीकरण के लिए प्रासंगिक तारीख **सोमवार 5 अप्रैल 2021** है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता

के लिए उनके अनुमोदन, सम्मति, अनुमति और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) अधिनियम, 2007 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए, बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प पारित जाता है कि पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह अपनी सभी शक्तियां, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों को प्रत्यायोजित करें।”

बोर्ड के आदेशानुसार

(ए. के. दास)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

मुंबई

दिनांक : 09/04/2021

टिप्पणियां :-

1. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (“एमसीए”) ने अपने परिपत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2020 सहपठित दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 दिनांक 5 मई, 2020, 15 जून, 2020 और 28 सितंबर, 2020 (जिन्हें समेकित रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार एक ही स्थान पर सभी सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है। सेबी(सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी विनियम”) के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में बैंक की ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. लागू प्रावधानों के अनुसार, असाधारण आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह असाधारण आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा नहीं होगी और इसलिए परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
3. संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूसएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या प्रशासनिक निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जानी चाहिए।
4. 'ग्रीन इनिशिएटिव' का समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।
5. संयुक्त शेयर धारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में जो प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज है वे असाधारण आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।
6. उपर्युक्त एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, असाधारण आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयर धारक नोट करें कि यह नोटिस, बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.cdslindia.com> पर भी उपलब्ध रहेगी।
7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों को गणपूर्ति (quorum) की गणना के लिए गिना जाएगा।
8. चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।
9. **ई-वोटिंग**
बैंक, नोटिस में उल्लेख किए गए मर्दों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा **28 अप्रैल, 2021 बुधवार** को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

10. **ई-वोटिंग अनुदेश** - रिमोट ई-वोटिंग तथा ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम
- जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों की आम बैठकें कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 परिपत्र सं.20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र सं.33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। अतः आगामी ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी। अतएव, सदस्य आगामी एजीएम/ईजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं तथा सहभागिता कर सकते हैं।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा एमसीए परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई, 2020, 28 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार कम्पनी ईजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु कम्पनी ने प्राधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। ईजीएम की तारीख को किसी सदस्य द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली या रिमोट ई-वोटिंग का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
 - सदस्य, बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के द्वारा वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक; निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति, नामांकन एवं प्रारिश्मिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें पहले आने की बाध्यता के बिना ही ईजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है।
 - वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं मीटिंग) विनियम, 2007 के तहत गणपूर्ति की गणना के लिए गिना जाएगा।
 - एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए इस ईजीएम में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 तथा धारा 113 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम द्वारा इस ईजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।
 - कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप, ईजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह ईजीएम नोटिस सीडीएसएल (एजीएम/ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं : -

- i. मतदान की अवधि 02 मई, 2021, रविवार प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 04 मई, 2021 बृहस्तिवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते हैं, वे 28 अप्रैल, 2021 बुधवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।
- ii. जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान हेतु हकदार नहीं होंगे।
- iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।
- iv. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- v. अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें
(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशियरी आईडी
(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- vi. डिस्प्ले किए गए इमेज वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- vii. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी के ई-वोटिंग पर पहले वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- viii. यदि आप पहली बार ई-वोटिंग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें: -
डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए

डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए	
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे पीएएन फील्ड में दर्शाए गए पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर छपी क्रम संख्या का प्रयोग करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्टि करें। यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेश (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरे के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

- ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें।
- x. जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा, जहां वे वोट करने के पात्र हैं, बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरों का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. कृपया बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर, आपको 'Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो 'RESOLUTION FILE LINK' पर क्लिक करें।
- xv. आपने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार, अपना वोट बदलें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड की प्रविष्टि करें तथा 'ForgotPassword' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- xix. शेयरधारक सीडीएसएल के "m-Voting" मोबाइल एप्प के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। m-Voting एप्प को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप्प के अनुदेशों का पालन करें।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉगइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है :

1. फिजिकल शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **बैंक/आरटीए की ई-मेल आईडी** पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।
2. डीमैट शेयरधारकों हेतु - कृपया डीमैट खाते के आवश्यक ब्यौरे (सीडीएसएल-16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक की डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, ग्राहक के मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **बैंक/आरटीए की ई-मेल आईडी** पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।

3. कम्पनी/आरटीए सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी तथा ऊपर उल्लिखित शेयरधारकों को लॉग-इन संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. शेयर धारकों को सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम कं ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक <https://www.evotingindia.com> पर शेयरधारक/सदस्य के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग ब्योरे का प्रयोग कर इसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम हेतु लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा।
2. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
3. तत्पश्चात्, शेयरधारकों को कैमरा का उपयोग करने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लेपटॉप या टेबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अतः उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।
5. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर को headoffice.share@Bankofindia.co.in पर प्रेषित कर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए headoffice.share@Bankofindia.co.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही है।

2. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें किसी अन्य प्रकार से रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
3. यदि शेयरधारकों द्वारा ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्होंने शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।
4. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे ईजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

(xx) गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु नोट:-

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और अभिरक्षक के पक्ष में जारी पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्क्रीनिंगर उसका सत्यापन कर सकें।
- विकल्पतः गैर-एकल शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्क्रीनिंगर को scrutinizer@snaco.net तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.in पर भेजना चाहिए, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्क्रीनिंगर के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल भेज सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रेषित की जा सकती हैं या 1800225533 पर कॉल करें।

अन्य अनुदेश

1. स्कूटिनाइजर, ईजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्कूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष/एमडी एवं सीईओ या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराएगा।
2. स्कूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अनुरूप अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण।

मद संख्या 1

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अनुरूप अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण।

1. बैंक, बैंकिंग तथा इससे संबंधित गतिविधियों के कारोबार में है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रु.6000 करोड़ है तथा यथा दिनांक को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु.3277.66 करोड़ है।
2. वर्तमान में, हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता रु.2919.69 करोड़ है, जो कि बैंक की कुल चुकता पूंजी का 89.10% है। यथा 31 दिसम्बर, 2021 को जोखित भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी निधि निम्नलिखित है:

विवरण	राशि रु. करोड़ में	बासेल -III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का %
जोखिम भारित आस्तियां	3,01,350	-
सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी-1)	28,459	9.44%
टियर - I पूंजी	28,459	9.44%
टियर - II पूंजी	9,245	3.07%
कुल पूंजी	37,704	12.51%

3. बैंक पिछले कई सालों से बहुत कर्मठतापूर्वक और सावधानी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए बैंक को पूंजी अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक को दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता है। बैंक, अद्यतन तारीख तक यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अनुरूप भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम द्वारा निधियां जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

भारत सरकार ने 17 मार्च, 2021 के अपने पत्र के जरिए सरकार के निवेश के रूप में योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन में केंद्र सरकार के योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा रु.3000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार ने 31 मार्च, 2021 को बैंक के भारतीय रिज़र्व बैंक खाते में राशि जमा कर दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च, 2021 के अपने पत्र में बैंक के द्वारा शेयर जारी करने की सामान्य अनुमति दे दी है।

4. वर्तमान संकल्प इसलिए प्रस्तावित किया गया है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।

5. **प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के उद्देश्य:**

अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

6. **ऑफर सब्सक्राइब करने के लिए निर्गम के प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:**

बैंक के प्रवर्तक - अर्थात् भारत सरकार के अलावा किसी भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों ने इक्विटी शेयरों के निम्नलिखित ऑफर को लेने का इरादा व्यक्त नहीं किया है।

7. **प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व व पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न:**

विवरण	निर्गम से पूर्व (यथा 31.12.2020)		प्रस्तावित आबंटन	निर्गम के पश्चात	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
प्रवर्तक समूह :: भारत के राष्ट्रपति	291,96,90,866	89.10	42,11,70,854	334,08,61,720	90.34%
भारतीय जीवन बीमा निगम	14,16,34,393	4.32	शून्य	14,16,34,393	3.83
अन्य	21,55,98,091	6.58	शून्य	21,55,98,091	5.83
कुल	327,69,23,350	100.00	42,11,70,854	369,80,94,204	100.00

8. **भारत के राष्ट्रपति की निर्गम से पूर्व व पश्चात शेयर धारिता निम्नानुसार है:**

	निर्गम पूर्व		निर्गम के बाद	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	पूँजी की तुलना में प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	पूँजी की तुलना में प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	2,91,96,90,866	89.10	334,08,61,720	90.34

9. **समयावधि, जिसके अंदर यह अधिमानी निर्गम (preferential Issue) पूर्ण कर दिया जाएगा:** बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यू निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करता है।
10. **निर्गम के पश्चात प्रबंधन में कोई परिवर्तन :**
बैंक के प्रवर्तक होने के नाते भारत सरकार, बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/बैंक पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
11. **प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण :**
निर्गम का मूल्य, अद्यतन संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
12. **सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन:**
मेसर्स चतुर्वेदी एवं कम्पनी सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह प्रमाणित किया है कि शयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र की प्रति बैंक की असाधारण आम बैठक, दिनांक 05 मई, 2021 में उपलब्ध होगी।
13. **लॉक-इन अवधि:**
 - क) अधिमानी निर्गमों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिमानी आधार पर प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक-इन अवधि के अध्वधीन रहेंगे।
 - ख) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी धारिता को, संदर्भ तारीख से शुरू होकर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 महीनों तक की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।
14. **अनुपालन:**
 - क) स्टॉक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, सूचीकरण करार में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
 - ख) संबंधित तिथि के पहले 6 महीनों के दौरान भारत सरकार (प्रवर्तक) ने कोई इक्विटी शेयरों की बिक्री नहीं की है।
 - ग) सेबी सूचीकरण विनियम-2015 के खंड 41(4) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सूचीबद्ध संस्थाएँ सभी शेयरों (जब्त शेयरों सहित), प्रतिभूति, अधिकार, विशेषाधिकार तथा लाभों को प्रथम दृष्टांत में यथानुपात आधार पर स्वीकृत करने के लिए सूचीबद्ध संस्था के इक्विटी शेयरहोल्डरों को जारी या प्रस्तावित करेगी जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न लें। चूंकि पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अपेक्षित है।

15. **वचन:**

- (क) बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ ऐसा करना अपेक्षित है, इक्विटी शेयर के कीमत की पुनः गणना करेगा।
- (ख) बैंक वचन देता है कि कीमत की पुनः गणना के कारण देय रकम का इन विनियमनों में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा रकम का भुगतान न किए जाने तक यह निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरुद्ध अवधि जारी रहेगी।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण/बैंक के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति/उनके संबंधी इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

बोर्ड के आदेश से

(ए. के. दास)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

मुबंई

दिनांक : 09/04/2021



NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Wednesday, 05 May, 2021 at 11.00 AM** through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following **Special Business**: (the deemed venue of the Meeting will be the Head Office of the Bank).

Item No.1 - Issue of Shares to Government of India (Promoters) on Preferential Basis.

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and regulations as may be prescribed by RBI and other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot **upto 42,11,70,854 equity shares** of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at **Rs.71.23 per equity share** including premium of **Rs.61.23** per equity share as determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto **Rs. 3,000** Crore on preferential basis to Government of India (President of India).”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Monday, April 05, 2021”**

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India /

Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board

Place: Mumbai

(A K Das)

Date: 09.04.2021

Managing Director & CEO

Notes:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs("MCA") has vide its circular dated 31st December, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020, May 5, 2020, June 15, 2020 and September 28, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), approval received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") and Extra ordinary General Meetings (EGM) through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI

Listing Regulations”) and MCA Circulars, the EGM of the Bank is being held through VC / OAVM.

2. Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this EGM is being held pursuant to the MCA / MOF Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the EGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.
3. Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the EGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
4. To support the ‘Green Initiative’, Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with the DPs in case the shares are held by them in physical form.
5. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the EGM.
6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, Notice of the EGM is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice will also be available on the Bank’s website www.bankofindia.co.in websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL <https://www.cdslindia.com>.
7. Members attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
8. Since the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

9. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the EGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Wednesday April 28, 2021**, being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

10. E-VOTING INSTRUCTIONS - CDSL e-Voting System

For Remote e-voting and e-voting during EGM

1. As you are aware, in view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No.33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No.39/2020 dated December 31st, 2020. The forthcoming EGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing EGM through VC/OAVM.
2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, September 28, 2020 and December 31st, 2020, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the EGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the EGM will be provided by CDSL.
3. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.
4. The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Bank's (Shares and Meeting) Regulations, 2007.
5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this EGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the EGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.
6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The EGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the EGM) i.e., www.evotingindia.com.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

- (i) The voting period begins on 10.00 a.m. on Sunday, May 02, 2021 and ends on 5.00 p.m. on Tuesday, May 04, 2021. During this period shareholders of the bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of **Wednesday, April 28, 2021** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on “Shareholders” module.
- (v) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- (ix) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- (xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant Bank of India on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app “**m-Voting**”. The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Bank/RTA email id**.
2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to **Bank/RTA email id**.
3. The company/RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above-mentioned shareholders.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least seven **days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at headoffice.share@Bankofindia.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance seven **days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at headoffice.share@Bankofindia.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net and to the Bank at the email address viz; **headoffice.share@Bankofindia.co.in**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

Other Instructions

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the EGM, make a consolidated Scrutinizer’s Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman / MD & CEO or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.
2. The result declared along with the Scrutinizer’s Report shall be placed on the Company’s website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com> immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

Item Number 1

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs.6000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is Rs. 3277.66 Crore.
2. Presently, the shareholding of the Government of India in our Bank is Rs.2919.69 Crore, which constitutes 89.10 % of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31st, December 2021 is as under:

Particulars	Amount Rs. in Crore	% of capital funds to risk weighted asset Under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,01,350	-
Common Equity Capital (CET-1)	28,459	9.44%
Tier-I Capital	28,459	9.44%
Tier-II Capital	9,245	3.07%
Total Capital	37,704	12.51%

3. The Bank has been growing very diligently and cautiously for the last many years and there is constant requirement to augment capital. In order to meet this growing requirement, Bank needs long term capital. The Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended upto date to Government of India.

GOI vide their letter dated March 17, 2021 has conveyed the sanction of President of India for release of Rs. 3000 Crore, towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares of the bank during the financial year 2020-21, under plan as Government's Investment. Government has also remitted money in the Bank's RBI Account on March 31, 2021. The Reserve Bank of India vide their letter dated March 26, 2021 has given a general approval for issue of shares.

4. The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.

5. **Objects of the proposed Preferential Issue:**

The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

6. **Proposal of the Promoters/ Directors/ Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:**

None of the Director or Key Management Persons other than the Promoter of the Bank i.e., Government of India below intends to subscribe to the offer of equity shares.

7. **Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:**

Particulars	Pre Issue (As on 31.12.2020)		Proposed Allotment	Post Issue	
	No. of Shares	<u>%age</u>		No. of Shares	<u>%age</u>
Promoter Group :: The President of India	291,96,90,866	<u>89.10</u>	42,11,70,854	334,08,61,720	90.34%
Life Insurance Corporation of India	14,16,34,393	4.32	Nil	14,16,34,393	3.83
Others	21,55,98,091	6.58	Nil	21,55,98,091	5.83
Total	327,69,23,350	100.00	42,11,70,854	369,80,94,204	100.00

8. **The Pre and Post Issue shareholding of President of India is as under:-**

	Pre Issue		Post Issue	
	No. of equity shares	%age to Capital	No. of equity shares	%age to Capital
President of India	2,91,96,90,866	89.10	334,08,61,720	90.34

9. **The timeline within which the preferential issue shall be completed:**

The Bank endeavors to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

10. **Any Change in the Management post the Issue**

Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

11. **Pricing of the proposed Preferential Issue:**

The Issue Price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

12. **Certification from Statutory Auditors:**

M/s. Laxmi Tripti & Associates, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on May 05, 2021.

13. **Lock-in period:**

- a) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e., Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.
- b) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange

14. **Compliance:**

- a) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- b) The Government of India (Promoters) has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- c) Clause 41 (4) of SEBI Listing Regulations-2015, provide *inter-alia* that the listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. As it is proposed to allot fully paid-up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

15. **Undertakings:**

- a) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- b) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors / Key Managerial personal of the Bank / their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank

By order of the Board

Mumbai

(A.K. Das)

Date: 09.04.2021

Managing Director & CEO